न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

करण संख्या :– 102/2021 (2021/321) दर्ज दिनांक 16.08.2021

पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

शंकरीदेवी पत्नि नानुराम तेली निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थीया

बनाम

1. दयाराम आत्मज लेहरू तेली
2. नाथु आत्मज उदयराम तेली
3. नारायण आत्मज उदयराम तेली
4. नानुराम आत्मज लहरू तेली
5. मियाचन्द आत्मज भुरा जाट
6. ऐजी पुत्री चतरभुज बलाई
7. देऊ पुत्री चतरभुज बलाई
8. नानु अत्मज चरतभुज बलाई
9. लेहरू आत्मज चतरभुज बलाई
10. हीरालाल आत्मज चतरभुज बलाई
11. रामी पत्नि मांगीलाल जाट
12. शंकर लाल दत्तक पुत्र मांगीलाल जाट
13. चांदी पत्नि अम्बालाल जाट
14. बद्रीलाल आत्मज अम्बालाल जाट

सर्व निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीयाः–श्री रामेश्वर लाल जाट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–01.10.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:15 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है [illegible] त्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध [illegible] ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का भरक हसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी [illegible] काश्त की खाता राजी संख्या 385 रकबा 0.02 हे0 386 रकबा [illegible] हे0 भूमि कुल किता [illegible] कुल कबा 0.72 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 205 प[illegible]होकर ित हैं। भूमियां प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी ज[illegible] सम्वत् 3 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी कियें जाने की दुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर ित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक य कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ... पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार ... कब्जे काश्त की खाता आराजी संख्या 385 रकबा 0.02 हे0, 386 रकबा 0.70 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या ...5 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी ...

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:15 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार पत्र देने वाले को स्वयं मैं पहचानता अथवा